Website:- www.dipronline.org **email:- projjn@rediffmail.com,**

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

<u>नव जीवन योजना</u>

अवैध शराब बनाने एवं बेचने के धंधे में लिप्त परिवारों के पुर्नवास की योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ

झुंझुनू, 23 फरवरी: राज्य सरकार द्वारा अवैध शराब के बनाने एवं बेचने के धंधे में लिप्त परिवारों व व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए लागू की गई नव जीवन योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन लोगों के आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें प्रशिक्षण देने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जाये और उन्हें बैंक आदि से ऋण दिलाकर लाभान्वित भी किया जाये। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में देरी नहीं की जाये।

जिला आबकारी अधिकारी दुर्गाप्रसाद मीणा ने बताया कि योजना के तहत 120 व्यक्तियों का चयन किया गया था, जिनमें से 80 व्यक्तियों के आवेदन पत्र पूर्ण पाये गये हैं। सभी आवेदन पत्रों को पूर्ण करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है और शीघ्र ही इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्टाई फण्ड के रूप में प्रशिक्षण के दौरान सहायता राशि भी प्रशिक्षणार्थियों को दी जायेगी। प्रशिक्षण के बाद विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण भी दिलाया जायेगा। लाभार्थी व्यक्तियों को लिये गये ऋण पर 15 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रूपये के अनुदान की सुविधा भी दी जायेगी। बैठक में अपर जिला कलेक्टर के.एल. मीणा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक बिहारीलाल वर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मनफूल सिंह, अनुसूचित जाति विकास निगम के परियोजना प्रबन्धक उत्तम सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

आहरण एवं वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर सूचना भिजवाने के निर्देश

झुंझुनू, 23 फरवरी: कोषाधिकारी एच.सी. रोहिला ने जिले के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर सम्बन्धी उपकरणों की सूचना भिजवाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आहरण वितरण अधिकारियों से कहा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी

प्रकार के बिलों को बनाने व भुगतान सम्बन्धी आहरण वितरण अधिकारी और कोष तथा बैंक स्तर का कार्य ऑन लाईन करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी वर्णित सूचना के खाली प्रपत्र सम्बन्धित कोष व उपकोष कार्यालयों से प्राप्त करके प्रपत्र में ब्रांड बेण्ड कनेक्शन, उपलब्ध कम्प्यूटर उपकरणें के विवरण के साथ टॉन नम्बर, फोन नम्बर की विस्तृत सूचना फरवरी माह के वेतन बिलों के साथ 28 फरवरी से पहले भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष स्थापित

झुंझुनू, 23 फरवरी: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके 13 वीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र के दौरान विधान सभा सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने व भिजवाने के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नम्बर 114 में दूरभाष नम्बर 01592-232237 एवं 1070 पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। उन्होंने पूर्व से संचालित राहत हैल्प लाईन 24 गुणा 7 में कार्यरत कार्मिकों से कहा है कि वे अपने कार्य के साथ विधान सभा नियंत्रण कक्ष का कार्य भी संपादन करेंगे और कार्यरत दल अगले दल के आने से पहले कार्यालय नहीं छोडेंगे। नियंत्रण कक्ष का प्रभारी नायब तहसीलदार (लीव रिजर्व) मंगलचन्द सैनी को बनाया गया है। जिनका मोबाइल नम्बर 9828369785 है।

सांसद एवं विधायक कोटे से 4 कार्य स्वीकृत

झुंझुनू, 23 फरवरी: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में सांसद शीशराम ओला व राज्य सभा सदस्य ओमप्रकाश माथुर के कोटे से एक-एक कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि शीशराम ओला के कोटे से अलसीसर पंचायत समिति के धनूरी गांव में पाइप लाईन डालने के लिए एक लाख 48 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि राज्य सभा के सदस्य के कोटे से बसंत विहार पार्क में ट्यूबवैल निर्माण के लिए एक लाख 47 हजार रूपये और पिलानी विधायक सुन्दरलाल के कोटे से सूरजगढ़ पंचायत समिति के श्योसिंहपुरा गांव के रा.प्रा.विद्यालय के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत के लिए 2 लाख रूपये और घूमनसर कलां गांव के रा.बा.उच्च प्रा. विद्यालय के खेल मैदान में ट्रेक निर्माण के लिए 50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिला कलेक्टर ने स्व-विवेक जिला विकास योजना में उपखण्ड कार्यालय खेतड़ी में शेष रहे विस्तार कार्य की मरम्मत व निर्माण के लिए 68 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की है।

नरेगा योजना में पौने छह हजार श्रमिक नियोजित

झुंझुनू, 23 फरवरी: जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गारण्टी योजना के तहत वर्तमान में जिले के आठों पंचायत समिति क्षेत्र में 982 कार्यो पर 5 हजार 775 श्रमिक नियोजित हैं। उन्होंने बताया कि अलसीसर पंचायत समिति

में 556, बुहाना में एक हजार 48, चिड़ावा में 579, झुंझुनू में 403, खेतड़ी में 256, नवलगढ़ में 407, सूरजगढ़ में 1470 और उदयपुरवाटी में एक हजार 56 श्रमिक नियोजित हैं।

तकनीकी स्टाफ का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 25 फरवरी से

झुंझुनू, 23 फरवरी: जिले की पंचायत समितियों में कार्यरत समस्त तकनीकी स्टाफ का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 25 फरवरी से 27 फरवरी तक जिला परिषद (जिला परिषद ग्रामीण प्रकोष्ठ)के सभागार में आयोजित किया जायेगा। परियोजना अधिकारी (अभियांत्रिकी) गणेशाराम ने बताया कि पंचायत समितियों में कार्यरत सहायक अभियन्ता (नरेगा), वरिष्ठ व कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को महानरेगा योजना के बारे में तकनीकी जानकादी देकर प्रशिक्षित किया जायेगा।

अकाल राहत कार्यो पर 446 श्रमिक नियोजित

झुंझुनू, 23 फरवरी: जिले में अकाल राहत कार्यो पर 446 श्रमिक नियोजित हैं। वर्तमान में 187 कच्चे कार्यो के लिए 685.59 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। अकाल प्रभावित गांवों के असहाय व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता के रूप में 2 माह के लिए 1794 पात्र व्यक्तियों को 21 लाख 41 हजार 800 रूपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

जिले में 36 गोशालाओं के छोटे-बड़े 7620 पशुओं के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की जा चुकी है। जिले में अकाल प्रभावित क्षेत्रों में 5 चारा डिपो वर्तमान में संचालित हैं। जनवरी से एक लाख 924 पशुओं को पशुआहार उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। तहसीलवार 19 हजार 124 पशुओं को पशुआहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी की गई है। पशु संरक्षण के लिए दवाईयों की खरीद व टीकाकरण के लिए 21.15 लाख रूपये का बजट प्राप्त हुआ है, जिसमें से 13.74 लाख रूपये की दवाईयों के क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

102.7 मैट्रिक टन चीनी का आवंटन

झुंझुनू, 23 फरवरी: जिला रसद अधिकारी हरभजन सिंह ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फरवरी माह के लिए जिले को 102.7 मैट्रिक टन चीनी का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार झुंझुनू को 24 मैट्रिक टन, झुंझुनू महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार को 20.4, झुंझुनू क्रय विक्रय सहाकरी समिति को 15.1, सूरजगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति को 11.2, उदयपुरवाटी क्रय विक्रय सहकारी समिति को 15.3 और डूण्डलोद मण्डी क्रय विक्रय सहकारी समिति को 16.7 मैट्रिक टन चीनी का आवंटन किया गया है। यह चीनी बी.पी.एल. परिवारों (अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों सहित) को वितरित की जायेगी।

अंधेरे में नरेगा द्वारा रोशनी की किरण !

झुंझुनू, 23 फरवरी: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गारण्टी योजना के तहत जिले की झुंझुनू पंचायत समिति का बीबासर एक ऐसा गांव है जहां के जोब कार्डधारी व बी.पी.एल. में चयनित बनवारी के जीवन में संदैव अंधेरा ही रहा। बनवारी अंधा होने के कारण से कहीं भी अपना ईलाज नहीं करा पाया। वह ईलाज पर लाखों रूपये खर्च करके कर्जवान भी बन गया। उसके इकलौते बेटे विजयपाल ने नरेगा को समझा और उसने केशवबाडी का ग्राम सभा में प्रस्ताव दिलाया। गांव में अशिक्षा की वजह से दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया कि आपकी जमीन सरकारी हो जायेगी, लेकिन अंधे पिता की सीख ने उसे नरेगा के माध्यम से आगे बढ़ने की राह दिखाई। अंधे पिता को अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाने की ललक भी थी। ग्राम पंचायत ने नरेगा में विजयपाल को पहला मेट लगाकर उसे 100 दिन का रोजगार भी उपलब्ध कराया। उसने नरेगा से प्राप्त राशि से एक छोटी सी दुकान व अपने पिता के लिए घर में पक्का शौचालय भी बनवाया। दुकान चलाने में अंधे बनवारी की घर के सदस्यों द्वारा मदद की जाने लगी।

ग्राम रोजगार सहायक सुनीता ने बताया कि नरेगा योजना में बीबासर पंचायत क्षेत्र में जोहड़ खुदाई, रास्ता दुरूस्तीकरण व डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण भी कराया गया। उन्होंने बताया कि इस गांव में अब तक 26.87 लाख रूपये नरेगा कार्यो के लिए स्वीकृत किये जा चुके हैं। यहां के 304 लोगों को जोब कार्ड जारी किये गये हैं। 72 व्यक्तियों के पोस्ट ऑफिस में व 93 व्यक्तियों के बैंक में खाते खुलवाये जा चुके हैं। इस पंचायत में नौ बी.पी.एल. व्यक्तियों द्वारा 100 दिन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नागरिक अधिकार पत्र जारी

झुंझुनू, 23 फरवरी: राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि नागरिक अधिकार पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रत्येक ग्रामीण परिवार योजना में पंजीकरण कराने का अधिकारी है, लेकिन पंजीकरण के लिए परिवार के सदस्य का वयस्क होना जरूरी है। पंजीकरण के बाद 15 दिन में जोब कार्ड प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा और परिवार को स्वयं के पास रखने का अधिकार होगा।

उन्होंने बताया कि जोब कार्डधारी परिवार के सदस्य जिसका नाम जोब कार्ड में दर्ज है, वह कार्य की मांग पंचायत से करेगा, जिसकी तारीख शुदा रसीद भी प्राप्त कर सकेगा। कार्य की मांग करने वाले व्यक्ति को 15 दिन में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होगा और कार्य नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा कार्य समाप्ति के 15 दिन में ही मजदूरी पाने का भी अधिकारी होगा। नियत समय से देरी पर मजदूरी का भुगतान करने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार भी अधिकार पत्र में दिया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का प्रावधान योजना में है। ग्राम सभा के माध्यम

से ही योजना के तहत कराये गये कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण में भाग लेने व उसमें कराये कार्यो तथा कार्यो पर नियोजित परिवारों के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को होगा। यही नहीं कार्य से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को देखने व निरीक्षण का अधिकार भी नागरिक अधिकार पत्र में दिया गया है।

महानरेगा योजना में पखवाडे की तिथियां अलग-अलग होंगी

झुंझुनू, 23 फरवरीः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (नरेगा) को अब महानरेगा के नाम से जाना पहचाना जायेगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि श्रमिकों के भुगतान में विलम्ब होने के कारण को मध्यनजर रखते हुए सरकार ने अब श्रमिक कार्य के पखवाड़े को आगामी एक मार्च से अलग-अलग ग्राम पंचायतों में अलग-अलग तारीखों को प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता के निर्देशानुसार अब श्रमिकों को शीघ्र भुगतान की व्यवस्था एवं किये गये कार्य के माप के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से ही यह नई व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ग्राम रोजगार सहायक, ग्रामसेवक, सरपंचों एवं मेटों को जिले की सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर कलस्टर के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था से समय पर टॉस्क करने, पारदर्शिता रखने एवं श्रमिकों को निर्धारित समय सीमा में भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।